

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील/एल.आर./4/2002/नागौर

भैरूराम पुत्र लादूराम जाति जाट साकिन लोहराना  
तहसील नावां जिला नागौर

....अपीलांट

बनाम

सेवाराम पुत्र बोदूराम जाति जाट सा0लोहराना तह0नावां जिला नागौर

.....रेस्पोजेन्ट

(2) निगरानी/टी.ए./8256/2001/नागौर

भैरूराम पुत्र लादूराम जाट निवासी लोहराना  
तहसील नावां जिला नागौर

....निगराकार

बनाम

1. सेवाराम पुत्र बोदूराम जाट निवासी लोहराना तह0नावां जिला नागौर
2. ग्राम पंचायत जाब्दीनगर, पंचायत समिति कुचामन सिटी जरिए सरपंच

.....रेस्पोजेन्ट्स

एकल पीठ  
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित—

श्री खडगसिंह, अभिभाषक अपीलांट/निगराकार

श्री एस.पी.सिंह, अभिभाषक रेस्पोजेन्ट नं01

निर्णय

दिनांक 31.8.2018

1. अपीलांट/निगराकार भैरूराम ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा अपील संख्या 75/2000 में दिनांक 25-1-2001 को पारित निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील संख्या 4/2002 तथा अपर कलक्टर, नागौर द्वारा अपील संख्या 46/2000 में दिनांक 28-11-2001 को पारित निर्णय के विरुद्ध निगरानी संख्या 8256/2001 प्रस्तुत की है।

2. दोनों मामलात में एक ही रास्ता का विवाद है एवं बहस भी एक साथ की गई है। अतः इस आदेश के द्वारा अपील संख्या 4/2002 एवं निगरानी संख्या 8256/2001 का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/निगरानीकर्ता की दलील है कि उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने भेरूराम के निवेदन पर दिनांक 19-8-99 को खसरा नंबर 122 में से कटाणी रास्ते को चालू करने का आदेश दिया था। उस निर्णय से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट सेवाराम ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में दिनांक 20-7-2000 को धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की थी, जिसे दिनांक 1-9-2000 को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपना क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपील को इसी आधार पर फैंसल कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने दूसरी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां पेश की, जिसे उन्होंने दिनांक 25-1-2001 को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के निर्णय दिनांक 19-8-99 को अपास्त कर दिया एवं मुकदमे को रिमाण्ड कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील संख्या 4/2002 मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25-1-2001 का आदेश विधि विरुद्ध है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के एक वर्ष बाद अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां प्रथम अपील पेश की गई थी, जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई आवेदन भी पेश नहीं किया गया था। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने मियाद के बिन्दु पर अपने आक्षेपित निर्णय में कोई विवेचन भी नहीं किया है, जबकि धारा 3 मियाद अधिनियम, 1963 के प्रावधान आज्ञापक हैं। उक्त प्रावधानों पर विचार किये बगैर पारित किया गया निर्णय विधि सम्मत नहीं है एवं क्षेत्राधिकार से परे है। इसके अलावा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को अपील सुनने का श्रवणाधिकार भी नहीं था क्योंकि रास्ता का विवाद तय करने की उन्हें अधिकारिता प्राप्त नहीं है। यदि सेवाराम अपना कोई हक समझता है तो उसे सक्षम न्यायालय से तय करवाना चाहिए। इसके अलावा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ग्राम पंचायत ने दिनांक 5-8-2000 को रास्ता का मामला निर्णित भी कर दिया था। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने भी दिनांक 13-9-99 को आदेश पारित किया है, जिससे असंतुष्ट होकर सेवाराम ने

अतिरिक्त कलक्टर, नागौर के यहां अपील पेश की थी, जो निर्णय दिनांक 28-11-2001 के द्वारा स्वीकार की गई तथा ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 5-8-2000 निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार दोनों न्यायालयों ने अविधिक आदेश पारित किये हैं, जिन्हें अपास्त किया जाए। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी सेवाराम को सुनकर विधिवत जांच करने के उपरान्त रास्ता खुलवाने का आदेश दिया था, जिसकी पालना भी हो चुकी है तथा इसका अंकन जमाबंदी में भी हो चुका है।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने उक्त दलीलों का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह अपील जान-बूझकर मियाद बाहर पेश की गई है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को अपील का श्रवणाधिकार था इसलिए आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार से परे नहीं है। उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 19-8-99 त्रुटिपूर्ण था इसलिए वस्तुस्थिति की सम्पूर्ण जांच करने के लिए प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जिससे अपीलांत के अधिकार प्रतिकूलतः एवं सारतः प्रभावित नहीं हुए हैं। उनकी यह भी दलील है कि ग्राम पंचायत को रास्ते के मामले में आदेश देने का अधिकार नहीं होने से दिनांक 5-8-2000 का आदेश विधिनुसार अपास्त किया गया है।

6. उक्त तर्कों पर मनन करने एवं पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भेरूराम ने इस रास्ते को खुलवाने के लिए 2 अलग-अलग उपचारों का प्रयोग किया था। एक तरफ उसने उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के यहां दिनांक 19-8-99 को दरखास्त पेश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया एवं रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 25-1-2001 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने सेवाराम की अपील को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, परबतसर का आदेश दिनांक 19-8-99 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि विवादित मौके का निरीक्षण व वस्तुस्थिति की जांच की जावे तथा दोनों पक्षों को गुणावगुण पर सुन कर विधि सम्मत निर्णय किया जाए एवं तब तक संबंधित रेकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कारण यह बताया है कि जब उपखण्ड अधिकारी, परबतसर से आक्षेपित आदेश से संबंधित मूल रिकार्ड भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया, तब उसकी पालना में उन्हें यह अवगत कराया गया कि वह मूल आदेश उपलब्ध नहीं हो रहा है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने

अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि उपखण्ड अधिकारी ने बिना आधार व बिना सेवाराम को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को अपास्त करने के विधि सम्मत कारण दिये हैं। अतः अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

7. यह उल्लेखनीय है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां लम्बित अपील में दिनांक 2-8-2000 से 11-8-2000 की अवधि में स्थगन प्रभावी था, फिर भी भेरूराम ने ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी दिये बगैर तथा तथ्यों को छुपाते हुए ग्राम पंचायत से इस रास्ते को खुलवाने बाबत दिनांक 5-8-2000 को आदेश पारित करवा लिया। इसके अलावा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इन परिस्थितियों में ग्राम पंचायत, जाबदीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-8-2000 विधि सम्मत नहीं था, जिसे अपास्त करने के विद्वान अपर कलक्टर, नागौर ने संतोषजनक कारण आक्षेपित निर्णय में वर्णित किये हैं। इसलिए उस निर्णय में भी किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है।

8. उक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील संख्या 4/2002 एवं निगरानी संख्या 8256/2001 सारहीन होन से खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)  
सदस्य